तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित : श्री ओ.एल.दवे, अभिभाषक प्रार्थी श्री हेमन्त सौगानी, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 8–7–2022** **निर्णय** यह निगरानी जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–2002 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1037 दिनांक 15–5–82 निरस्त होने पर सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ के समक्ष प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के बाद उक्त नामान्तरकरण संख्या 1037 को अप्रार्थी अमरचन्द गोयल के पक्ष में गैर कानूनी रूप से अपने आदेश दिनांक 16–6–2004 द्वारा स्वीकार करने के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील जिला कलक्टर सीकर के समक्ष पेश की। दौराने अपील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत तथाकथित वसीयत संबंधी लिखा पढी दिनांक 5–8–80 पर कथित अंगूठा निशानी स्व0श्री सूरजबख्श को डोक्यूमेन्ट एक्सपर्ट से मिलान करवाये जाने हेतु प्रस्तुत कर उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 5–8–80 एवं पंजीकृत बंटवाडा दिनांक 18–11–55 स्व0श्री सूरजबख्श के हस्ताक्षर हैं, का मिलान डोक्यूमेन्ट एक्सपर्ट से करवाये जाने का निवेदन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। जिला कलक्टर ने बहस सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 26–10–2004 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उनका है कि हस्ताक्षरों का मिलान करवाये जाने से वास्तविक स्थिति न्यायालय के पक्ष आ जाती और प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता। प्रार्थी, स्व0श्री सूरजबख्श द्वारा निष्पादित वसीयत पर श्री सूरजबख्श के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की जांच, पंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 18–11–55 पर स्व0 श्री सूरजबख्श के हस्ताक्षर से करवाना चाहते हैं, वह दस्तावेज 30 वर्ष से भी अधिक पुराना दस्तावेज है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 30वर्ष पुराने दस्तावेज के साथ सत्यता की अवधारणा जुडी रहती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 26–10–2004 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2004 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर सीकर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 26–10–2004 द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत स्व0श्री सूरजबख्श के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानात डाक्यूमेन्ट एक्सपर्ट से मिलान कराये जाने, को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि– ''हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी वसीयत दिनांक 5–8–80 व अपंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 18–11–55 पर स्व0सुरजबक्स द्वारा किये गये हस्ताक्षरों का मिलान डाक्यूमेन्ट एक्सपर्ट से करवाना चाहते है परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा अपीलीय प्रकरणों में ऐसा परीक्षण करवाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसे परीक्षण सम्बन्धी कार्य सिविल न्यायालयों द्वारा ही सम्भव है। इसके अति0प्रार्थी ने जिस फर्जी वसीयत दिनांक 5–8–80 का जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद मा0अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 सीकर द्वारा दिनांक 23–10–99 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी का प्रा0पत्र प्रकरण को लम्बित करने की नियत से पेश किया जाना प्रतीत होता है।'' हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अभिमत से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 26–10–2004 में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे कि निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर सीकर का आदेश दिनांक 26–10–2004 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	